— आदेश —

श्रीमान महानिदेशक, [illegible] इलाहाबाद की सम्मति के आधार पर फार्मेसी अनुदेशक डीटेनिकल/ पेंटिंग (पेंटर) [illegible] वेतनक्रम रु0 5000–8000 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते सहित पदभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में की जाती है। उनकी यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवायें शासनादेश संख्या–20/1/ 74–3, दिनांक–11 जून, 75 के अनुसार किसी भी समय बिना किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सापेक्ष किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति/पिछड़े वर्ग निवासी अभिलाषित है, या गलत सूचना पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण–पत्र दिये जाने की सम्भावना में संशोधित मण्डल संहिता की उपधारा के अन्तर्गत बिना किसी पूर्वसूचना के आगे की कार्यवाही की जायेगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र लिखकर पता	स्थाई पते का जनपद	संस्था का नाम जहाँ नियुक्ति की जाती है
1	2	3	4
1–	श्री नरेन्द्र कुमार पाल, पुत्र श्री परमपाल सिंह, 372/7 नयी गोविन्द पुरी, कालकाजी, नेहरू, कॉलोनी। पिन– 250001	मेरठ	राजकीय पालीटेक्निक, रामपुर
2–	हिमायतुल्लाह, पुत्र श्री मजीदुल्लाह द्वारा डा0 जुबैर फारूकी, 672, मोहल्ला, लालोनी जाजमऊ, कानपुर नगर।	कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, महोबा।

नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर उनकी वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

1– सभी शैक्षिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ।

2– दो राजपत्रित अधिकारियों जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र ।

3– एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र ।

4– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र ।

5– भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण–पत्र ।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय भेजे जायें। दिनांक–16/10/2001 तक नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है, तो उनकी नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझे जायेंगे। पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(उषा बिष्ट)
निदेशक
प्राविधिक शिक्षा